(२१)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 636-IV/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–02 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 172/अपील/1998–99.

नरेन्द्र कुमार पिता उमरावसिंह सॉसी
निवासी ग्राम हूलखेडी तहसील नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़

.....आवेदक

विरूद्ध

निर्मलसिंह दत्तक पुत्र विनिया(महिला)
निवासी ग्राम हूलखेडी तहसील नरसिंहगढ़,
जिला राजगढ़

.....अनावेदक

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–आवेदक
एकपक्षीय–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय के प्रकरण कमांक 172/अपील/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 29–11–2002 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार नरसिंहगढ़ जिला राजगढ के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम हूलखेड़ी में स्थित भूमि खाता कमांक 68 कुल किता 12 कुल रकवा

6.982 हेक्टर नरेन्द्र सिंह तथा निर्मलसिंह की खानदानी और पैतृक है लेकिन इस पर अनावेदक निर्मलसिंह का ही नाम दर्ज किया गया है अतएव आवेदक नरेन्द्र सिंह का नाम भी दर्ज किया जाये । आवेदन पत्र के साथ किस्तबन्दी खतोनी बी–1 की नकल प्रस्तुत की गई जिसमें निर्मलसिंह पिता बिनिया का नाम दर्ज है । तहसीलदार द्वारा नरेन्द्रसिंह तथा निर्मलसिंह के ब्यान दर्ज कर वादग्रस्त भूमि पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर दिनांक 27–2–1993 को आदेश पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–93 से व्यथित होकर अनावेदक निर्मलसिह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 23/अ–6/1997–98 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 19–2–1999 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश अवैधानिक पाये जाने के कारण निरस्त कर रिकार्ड पूर्ववत् किये जाने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–1999 से दुखित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जो प्रकरण कमांक 172/अपील/1998–99 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 29–11–02 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2002 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि,प्रकिया तथा सहज न्याय के सिद्धांत व साक्ष्य एवं रिकार्ड के विपरीत है व आवेदक को पक्ष समर्थन का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया है । आवेदक व अनावेदक दोनों भाई हैं इसलिये पैतृक सम्पत्ति होने के कारण दोनों का नाम विधिवत भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने संबंधी तहसील न्यायालय का आदेश न्यायिक रूप से सही है । आवेदक ने तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक ने अपनी अपील में अनावेदक ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाव में आवेदक का नाम दर्ज करने की सहमति

व्यक्त करते हुये अपना जबाव पेश किया । इस ओर भी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं देकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में भूल की है व अपर आयुक्त न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में न्यायसंगत कार्यवाही नहीं की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4— अनावेदकपक्ष प्रकरण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं इसलिये प्रकरण में अनावेदकपक्ष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है ।

5— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि उभयपक्ष ने समझौता पत्र पेश कर प्रश्नाधीन भूमि को पैतृक भूमि होने के आधार पर उभयपक्ष के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया है उसको मान्य किया जावे । प्रकरण में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29—11—2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रश्नाधीन भूमि का भू—अभिलेखों के आधार पर पैतृक भूमि न होने का निष्कर्ष निकाला है । नामान्तरण की कार्यवाही स्वत्व अर्जन के आधार पर की जा सकती है । किसी समझौते के आधार पर स्वत्व अर्जन मान्य नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण में प्रस्तुत समझौता पत्र अमान्य किया जाकर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.